संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E_Mail:- registrarsua@yahoo.co.in Phone:- 07774-222789, Fax:- 222791

क्रमांक –1657/परीक्षा/ई–12/2024 अम्बिकापुर, दिनांक 18/10/2024

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के समसंख्यक ज्ञापन एफ 3–32/2019/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30.09.2024 के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए "स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति 2024" जारी किया गया है।

उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा स्वाध्यायी छात्रों के पंजीयन के लिए दिनांक 08.10.2024 से 25.10.2024 तक **Online Portal** को **Open** किया गया है। निर्धारित समयावधि में पंजीकृत स्वाध्यायी छात्रों को ही परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पंजीकृत होंगे।

महाविद्यालय के प्राचार्य अपने महाविद्यालय के स्वाध्यायी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत् महाविद्यालय में उपलब्ध **DSC/GE/VAC/SEC/AEC** का विद्यार्थियों से सहमति उपरांत आबंटन करेंगे और उसे विश्वविद्यालय के **Online Portal** में अपलोड करेंगे। समस्त प्राचार्य, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी "स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति 2024" के निर्देशों का समयबद्ध एवं कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करते हुये निम्न निर्देशों का परिपालन करेंगे।

1. स्वाध्यायी विद्यार्थी का इच्छित परीक्षा केन्द्र अर्थात महाविद्यालय आबंटित हो जाए इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण विषयवार कर पोर्टल में उपलब्ध कराया जायेगा। विद्यार्थी जिस विषय में पंजीयन कराना चाहता है। वह उस महाविद्यालय का चयन करेगा।
2. स्वाध्यायी विद्यार्थी को ऐसा महाविद्यालय आबंटित किया जाएगा जहां उसके द्वारा चयनित विषय का अध्यापन कार्य पहले से हो रहा हो।
3. उपरोक्तानुसार स्वाध्यायी विद्यार्थियों से महाविद्यालय आंतरिक व्यवस्था हेतु स्वाध्यायी विद्यार्थी प्रकोष्ठ हेतु शुल्क की राशि प्रति सैद्धान्तिक विषय 50 रूपये तथा प्रति प्रायोगिक विषय 100 रूपये लिए जाने का निर्णय लिया जावे।
4. परीक्षा फार्म के समय स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क परीक्षा आवेदन भरते समय अलग से विश्वविद्यालय को भुगतान करना होगा।
5. महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे की स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम भौतिक/ऑनलाइन/ब्लेंडेड/अन्य माध्यम से पूर्ण कराई जाये।
6. स्वाध्यायी छात्र द्वारा सत्र के मध्य महाविद्यालय/केन्द्र को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं रहेगा।
7. **GE/VAC/SEC** महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों को वही विषय चयन करना होगा।
8. आंतरिक मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर एवं असाइनमेंट के मूल्यांकन के लिए प्रति सेमेस्टर के प्रत्येक विषय के पेपर हेतु पांच रूपये प्रति पेपर मानदेय भुगतान किया जाए। इसका भुगतान महाविद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क से किया जाएगा।

स्वाध्यायी छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण–

क्र.	शुल्क का प्रकार	शुल्क की राशि
2	शारीरिक शिक्षण शुल्क	60/–
4	अप्रवाशन शुल्क (छ.ग. बोर्ड से पृथक अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को माइग्रेशन प्रमाणपत्र शुल्क के साथ)	360/–
5	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क (सैद्धांतिक) प्रति विषय	50/–
6	असाइनमेंट शुल्क (प्रायोगिक) प्रति विषय	100/–
7	छात्र कल्याण शुल्क	12/–
8	युवा गतिविधि शुल्क	02/–
9	ग्रंथालय शुल्क	25/–

परीक्षार्थियों से ली गई प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। परीक्षा शुल्क परीक्षा आवेदन भरते समय छात्रों से अलग से ली जावेगी।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक– / परीक्षा/ई–12/2024

अम्बिकापुर, दिनांक 18/10/2024

प्रतिलिपि –

1. कुलपति के सचिव, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. विभागाध्यक्ष, समस्त शैक्षणिक विभाग, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. वित्त अधिकारी/सहायक कुलसचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त/स्थापना/अकादमिक/नामांकन/उपाधि/जनसम्पर्क अधिकारी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
5. व्यवस्थापक, एम.आई.सी.एस. को सूचनार्थ।
6. परीक्षा विभाग के समस्त कार्य सहायक संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यालयीन नस्ती।

उप कुलसचिव (परीक्षा)